संख्या-26/2026/001-280-24-1-2026-6626-SP-95 TC

प्रेषक,

संजय शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग,
विद्युत नियामक भवन, निकट मंत्री भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:-उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को राजकोष में समर्पित अंकित करते हुए उसे ग्राण्ट के रूप में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-234/नि0नि0प्र0/ऊर्जा, दिनांक 27.11.2000 जिसके अनुसार उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को 31 मार्च, 2026 तक राजकोष में समर्पित करते हुए समतुल्य धनराशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृति किया जाना है, के सन्दर्भ में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के पत्र संख्या-यू0पी0ई0आर0सी0/लेखा/बजट/2025-26/1510, दिनांक 13 मार्च, 2026 द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि के एवज में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मूल बजट के आय-व्ययक के भारित मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 2,68,02,000/- (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख दो हजार मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2026 तक कुल रूपये 60,19,85,818/- (रूपये साठ करोड़ उन्नीस लाख पच्चासी हजार आठ सौ अठ्ठारह मात्र) की धनराशि वसूल की गयी है। उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में रूपये 2,68,02,000/- (रूपये दो करोड़ अड़सठ लाख दो हजार मात्र) भारित मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा आयोग द्वारा एकत्र की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2026 तक राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त धनराशि का आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन पुस्तक समायोजन द्वारा समतुल्य धनराशि प्राप्ति लेखाशीर्षक-"0043-विद्युत कर तथा शुल्क-800-अन्य प्राप्तियॉ-01-विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त फीस एवं फाइन्स आदि" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,68,02,000 (रुपये दो करोड़ अड़सठ लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 2045001030400 उ.प्र.इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-123-X-2025-26-दिनांक:23-3-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

संख्या- 26 /2026/001-280(1)-24-1-2026-6626 SP-95 टी0सी0, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

p